भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3284

दिनांक 20.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

मुंबई में स्वच्छ भारत मिशन 2.0

3284. श्री नरेश गणपत म्हस्केः

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः

श्री राजेश वर्माः

श्रीमती शांभवीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मुम्बई में प्रतिदिन कुल कितनी मात्रा में ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है तथा इसका कितना प्रतिशत स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत वैज्ञानिक रूप से संसाधित या पुनर्चक्रित किया जाता है;

(ख) क्या सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट संग्रहण, पृथक्करण और निपटान तंत्र को बेहतर बनाने के लिए, विशेष रूप से उच्च घनत्व वाले शहरी क्षेत्रों में, कोई विशेष कदम उठाए गए हैं;

(ग) सरकार लैंडफिल डंपिंग पर निर्भरता कम करने के लिए किस प्रकार की योजना बना रही है तथा क्या महाराष्ट्र में कचरे को ऊर्जा या जैव-ईंधन में परिवर्तित करने के लिए कोई नीति मौजूद है;

(घ) क्या नगर निगम के अपशिष्ट में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र मौजूद है और सरकार अपशिष्ट निपटान के संबंध में जनता की शिकायतों का समाधान किस प्रकार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सरकार का दीर्घकालिक दृष्टिकोण और शहरी अपशिष्ट पुनर्चक्रण में वृत्ताकार अर्थव्यवस्था मॉडल शुरू करने के लिए रोडमैप क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति

(श्री वी. सोमण्णा)

(क): महाराष्ट्र राज्य द्वारा स्वच्छतम पोर्टल पर सूचित किए गए अनुसार, महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न नगरपालिका ठोस अपशिष्ट की कुल मात्रा 23,304 टन प्रति दिन है और उत्पन्न कचरे का 94% भाग संसाधित किया गया है।

(ख) से (ङ): भारत सरकार ने सभी शहरों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाने और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) के वैज्ञानिक प्रसंस्करण के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) शुरू किया। हासिल की गई प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, एसबीएम-यू 2.0 को 1 अक्टूबर 2021 को 100% स्रोत पृथक्करण, डोर टू डोर संग्रह और वैज्ञानिक लैंडफिल में सुरक्षित निपटान सहित कचरे के सभी अंशों के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से सभी शहरों हेतु कचरा मुक्त स्थिति प्राप्त करने के विज़न से शुरू किया गया है।

एसबीएम-यू के एसडब्ल्यूएम घटक के तहत, सभी प्रकार की अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं जैसे कि सामग्री रिकवरी सुविधाएं (एमआरएफ), ट्रांसफर स्टेशन, कम्पोस्टिंग संयंत्र, जैव-मिथेनेशन संयंत्र, रिफ्यूज्ड ड्राइवड ईंधन (आरडीएफ) प्रसंस्करण सुविधाएं, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं, बिजली संयंत्रों को अपशिष्ट, निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्ट संयंत्रों की स्थापना के लिए केंद्रीय निधि सहायता प्रदान की जाती है।

संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार स्वच्छता राज्य का विषय होने के कारण अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं अथवा किसी अन्य पद्धति को चुनने का निर्णय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के संबंधित शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) पर निर्भर करता है। राज्य अपने संसाधनों, प्रौद्योगिकी, स्थलाकृति, समाविष्ट अपशिष्ट के प्रकार, जलवायु स्थितियों आदि के आधार पर विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का चयन करते हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का केन्द्रीय अंश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई मांग के आधार पर राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) द्वारा विधिवत अनुमोदित पूर्ण प्रस्तावों के रूप में जारी किया जाता है जिसे उनकी कार्य योजना के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को आगे प्रेषित किया जाता है। एसबीएम-यू 2.0 के एसडब्ल्यूएम घटक के तहत, महाराष्ट्र राज्य को 1438.10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 273.28 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं। शहरी स्थानीय निकाय-वार परियोजना का ब्यौरा वेबसाइट https://sbmurban.org/swachh-bharat-mission-progress पर उपलब्ध है।

*****